

भारत सरकार
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2997
बुधवार, दिनांक 11 मार्च, 2026 को उत्तर दिए जाने हेतु

राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन का विस्तार

2997. श्री रमासहायम रघुराम रेड्डी:

क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का वर्ष 2050 तक निवल शून्य कार्बन उत्पादन के लक्ष्य के अनुरूप राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन का विस्तार करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने हरित हाइड्रोजन संयंत्रों की स्थापना के लिए संभावित स्थलों की पहचान की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने ऐसे संयंत्रों के पर्यावरणीय प्रभाव का आकलन किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद येसो नाईक)

(क) भारत सरकार राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन (एनजीएचएम) कार्यान्वित कर रही है, जिसका उद्देश्य भारत को हरित हाइड्रोजन और इसके उप-उत्पादों (डेरिवेटिव्स) के उत्पादन, उपयोग और निर्यात का ग्लोबल हब बनाना है। भारत की हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता वर्ष 2030 तक प्रति वर्ष 5 मिलियन मीट्रिक टन तक पहुँचने की संभावना है।

(ख) राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन (NGHM) के हरित हाइड्रोजन परिवर्तन के लिए रणनीतिक हस्तक्षेप (SIGHT) कार्यक्रम के अंतर्गत, हरित हाइड्रोजन और इसके डेरिवेटिव्स (उप-उत्पाद) के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन प्रदान किए जा रहे हैं। इस संदर्भ में:

- 18 कंपनियों को 8,62,000 टन प्रति वर्ष की हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता का आवंटन किया गया है।

- सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (SECI) ने पूरे भारत में 13 उर्वरक इकाइयों को 7,24,000 मीट्रिक टन प्रति वर्ष (MTPA) ग्रीन अमोनिया (ग्रीन हाइड्रोजन का एक उप-उत्पाद) के उत्पादन और आपूर्ति के लिए कीमतें निर्धारित की हैं।

स्थल की पहचान करना संबंधित कंपनियों की वाणिज्यिक सोच के आधार पर उनका विशेषाधिकार है।

(ग) और (घ): पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने दिनांक 28 जुलाई 2023 के कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से 'ग्रीन अमोनिया / ग्रीन हाइड्रोजन के विनिर्माण के लिए EIA अधिसूचना 2006 की प्रयोज्यता पर स्पष्टीकरण' के संबंध में स्पष्ट किया है कि नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करते हुए जल के इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा ग्रीन हाइड्रोजन/ग्रीन अमोनिया का उत्पादन करने वाले स्वतंत्र (स्टैंड-अलोन) संयंत्रों को पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना 2006 के प्रावधानों के तहत पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी।
